अंतर्राष्ट्रीय अदालत एवं जलवायु परिवर्तन

द हिन्दू

पेपर-III
(पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी)

16 देशों के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए एक साहसी प्रयास शुरू किया है, जो मानव सभ्यता के लिए एक संभावित खतरा है। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश वानुअतु के नेतृत्व में समूह, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से एक सलाहकार राय चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार

आईसीजे के दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं: विवादास्पद और सलाहकार। **विवादास्पद क्षेत्राधिकार**, सहमति देने वाले राज्यों के बीच कानूनी विवादों को हल करने के लिए संदर्भित करता है जबकि **सलाहकार क्षेत्राधिकार** के तहत, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए), सुरक्षा परिषद (SC) और संगठन के अन्य विशेष निकाय कानूनी प्रश्न पर राय के लिए आईसीजे से अनुरोध कर सकते हैं। विवादास्पद क्षेत्राधिकार के तहत दिए गए निर्णयों के विपरीत, आईसीजे की सलाहकार राय गैर-बाध्यकारी हैं। फिर भी, वे मानक वजन रखते हैं और एक प्रासंगिक मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आईसीजे की सलाहकार राय राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी मुकदमों में भी काम आएगा।

वानुअतु पहल

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन पर कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरणों की उपस्थिति के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन की समस्या का ठोस समाधान देने में विफल रहा है। हाल ही में संपन्न 27 वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-27) जहाँ देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने मतभेदों को कम करने में विफल रहे, यह पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक साथ कार्य करने में विफलता का उदाहरण है।

छोटे द्वीप विकासशील (एसआईडी) राज्य जैसे वानुअतु, बढ़ते तापमान और समुद्र के स्तर के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। तदनुसार, सितंबर 2021 में, वानुअतु ने यूएनजीए के माध्यम से, आईसीजे से "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और निवारण करने के लिए सभी देशों के कानूनी दायित्वों को स्पष्ट करने" के लिए एक सलाहकार राय लेने हेतु एक पहल शुरू की। तब से, इस पहल ने कथित तौर पर 100 से अधिक देशों के विचार का समर्थन करने के साथ गति पकड़ ली है।

कानूनी सवाल

विशेष रूप से, वानुअतु द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के मसौदे में आईसीजे से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मांगे गए हैं-

पहला, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के मानवजनित उत्सर्जन से जलवायु प्रणाली की सुरक्षा के लिए देशों के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्व क्या है? अपेक्षित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने में, आईसीजे न केवल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों में निहित मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कानून की व्याख्या और स्पष्टीकरण करेगा, बल्कि, जैसा कि कई विद्वानों का तर्क है, सामान्य और प्रथ. गत अंतर्राष्ट्रीय कानून (सीआईएल) का उपयोग इन संधियों अंतराल को भरने के लिए भी करता है। इस प्रकार, आईसीजे 'नो-हार्म' सिद्धांत (राज्य के एक दायित्व के तहत कि उनके अधिकार क्षेत्र में गतिविधियाँ अन्य देशों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं) का उपयोग कर सकता है। पेरिस समझौते के समान प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए सीआईएल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

दूसरा, इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को देखते हुए, उन राज्यों के लिए कानूनी परिणाम क्या है जिन्होंने एसआईडी राज्यों और वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के अन्य लोगों की जलवायु प्रणाली को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है? यह प्रश्न उस मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास करता है जो राज्यों को जलवायु परिवर्तन पर अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का सम्मान नहीं करने के लिए भुगतान करना चाहिए। जलवायु न्याय के हिस्से के रूप में, जलवायु क्षतिपूर्ति के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, अर्थात, समृद्ध देश ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का कारण बनें है, उन्हें विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल मार झेलने के लिए क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण न्यायिक शाखा है। इसकी स्थापना 1945 में नीदरलैंड की राजधानी 'द हेग' में की गई थी। इस न्यायालय ने 1946 से काम करना भी शुरू कर दिया था। हर तीन साल में इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवादों का निपटारा करना और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों को कानूनी राय देना है। इसके कर्तव्यों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से विवादों पर निर्णय सुनाना और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों को मांगने पर राय देना है। आईसीजे को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है, रजिस्ट्री आईसीजे का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है।

संरचना

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य हर तीन साल में चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते।
- न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से लिये जाते हैं:-
  1. अफ्रीका से तीन
  2. लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से दो
  3. एशिया से तीन
  4. पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से पाँच
  5. पूर्वी यूरोप से दो

सीओपी-27 में, जबकि कमजोर विकासशील देशों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए "नुकसान और क्षति" कोष स्थापित करने पर सहमति हुई थी, इस पर बहुत कम स्पष्टता है कि कौन से देश धन मुहैया कराएंगे। इसके अलावा वित्त पोषण और उत्सर्जन में विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के बीच संबंध अभी भी निर्धारित किया जाना है। इस संबंध में दूसरे प्रश्न के लिए आईसीजे का उत्तर उन कानूनी सिद्धांतों पर विस्तृत रूप से हो सकता है जो 'नुकसान और क्षति' कोष के संचालन में मदद कर सकते हैं।

आईटीएलओएस की भूमिका

सिर्फ आईसीजे ही नहीं है जिसकी सलाह ली जा रही है। जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर छोटे द्वीप राज्यों के आयोग, जिसमें एंटीगुआ और बारबुडा एवं तुवालु जैसे देश शामिल हैं, ने समुद्री कानून के लिए हैम्बर्ग स्थित अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल (ITLOS) की सलाहकार राय मांगी है। आईटीएलओएस से अनुरोध किया गया है कि समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के बारे में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत देशों के विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करें। समुद्र के गर्म होने, समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र के अम्लीकरण की चुनौतियाँ सभी समुद्री पर्यावरण से जुड़ी हैं।

निष्कर्ष

ये सलाहकार राय रामबाण नहीं हैं। दिए गए फैसले के आधार पर वे दोधारी तलवार भी बन सकते हैं। बहरहाल, हमारे ग्रह को बचाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की भूमिका का स्वागत किया जाना चाहिए। विकसित देशों और जी-20 जैसे समूहों को एसआईडी राज्यों की इन प्रशंसनीय पहलों का समर्थन करना चाहिए। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता जी-20 के महत्वपूर्ण विषय हैं। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत को लाइफ (LiFE-पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित करना) अभियान पर लगातार जोर देते हुए नेतृत्व करना चाहिए।

एक ही देश से दो जज नियुक्त नहीं हो सकते

- आईसीजे के जजों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के जरिए होता है। इन जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है। अगर कोई जज अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देता है तो, बाकी बचे कार्यकाल के लिए दूसरे जज का चुनाव किया जाता है। इनकी नियुक्ति को लेकर भी काफी सख्त प्रावधान हैं, जैसे एक ही देश के दो जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त नहीं हो सकते हैं।
- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों के जज हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसी भाषा में यह कोर्ट सुनवाई करता है और फैसले सुनाता है।

क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने के लिए देश बाध्य हैं?

- विशेषज्ञों की राय है कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना फैसला मनवाने के लिए सबसे पहले संबंधित देशों को सुझाव देता है। जिसके बाद वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाता है, जिससे संबंधित देश पर दबाव बनाया जा सके।
- पहले भी देखा गया है कि कई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने से इनकार कर चुके हैं। इसमें सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन तो कुख्यात है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर उसके अधिकार को लेकर दिए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था। वीटो पावर वाले देश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मनवाने में सुरक्षा परिषद् की ताकत भी काम नहीं आती है।

IAS GS World PCS
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में की गयी थी।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Que. Consider the following statements-

1. The International Court of Justice was established in 1945 in New York (United States of America).
2. There are total 15 judges in the International Court of Justice and their tenure is 9 years.
3. Judges of the International Court of Justice are eligible for re-election.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) 2 and 3

(d) 1, 2 and 3

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परिचर्चा कीजिए। हाल के वानुअतु पहल के आलोक में बताइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला मानने के लिए देश बाध्य हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताएं।
- वानुअतु पहल के बारे में बताएं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला क्या देशों के लिए बाध्यकारी है बताएं।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।